

FORM-II

(for projects other than linear projects)
Government of H.P.

Office of the District Collector

No. SML-SR(57)/2016- 1/3/

22703

Dated: 2. x . 16

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-45-30 hecter of forest land proposed to be diverted in favour of the Superintendent of Police Shimla for construction of Police Post Dhami (Halog) in Village Ghandel, Tehsil Shimla-Rural District Shimla (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Shimla Tehsil.

It is further certified that:-

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-45-30 hecter of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to \bigcirc

(b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram

Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.

the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha is enclosed as annexure 1 to

the discussion and decision on such proposals had taken place only when there

was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

the rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA

Encl: As above

DA-TII

(Bohan Chand Thakur) District Collector, Shimla

Signat

(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMSSIONER, SHIMLA DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 09-08-2016. At 4.00 P.M Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, Ghandal claiming rights in Village forest area(s) 0-45-30 hect. under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Shimla-Rural were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No. Name of Applicant

Name of Forest

Detail of forest Right

--Nil-

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No. Name of Applicant

Name of Forest

Detail of forest Right

--Nil-

OR

As informed by SDO (Civil) Shimla-Rural, no application was received from Gram Sabha claiming right in 0-45-30 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 09-08-2016

4

Deputy Commissioner-Cum- Chairman

A HIME



PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST F COMMITTEE HELD ON 08-09-2016 UNDER THE CHAIRMANSHI SHRI Rohan Chand Thakur,IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.

The following members of the District Level Forest Right Committee were present.

1. Shri G.C.Negi, Addl. District Magistrate, Shimla	Member Secy
2. Sh. H.K.Gupta, Divisional Forest Officer, Kotgarh	Member
3 Sh.M.S.Chandel, ACF Shimla-Rural	Member
4. Sh. Ashok Negi, DFO Rampur	Member
5.Sh. Shakti Awasthi, ACF Theog	Member
6. Dr. Chaman Lal, DFO Rohru	Member
7. Sh. Rampaul Singh, ACF, Chopal	Member
8Smt.Neelam Saraik, Member Zila Parishad	Member
9. Smt. Anita Kimta, Member Zila Parishad	Member

At the very outset the Addl. District Magistrate (L&O) welcomed all the members of the committee and a total 15 cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussuion following decision were taken.

All the cases which were placed before the committee has been approved to be processed under FCA.

The meeting ended with vote of thanks.

(H.K.Gupta)

(M.S.Chandel)

(Ashok Negi)

Smt Neelam Saraik

(Dr. Chaman Lai)

(Shri Q.C.Negi)

(Rampaul Singh)

(Smi Ania-Kinia

(Shakti Awasthi)

ATISOFIC

जिस्तार, विमला यहरी Deputy Commissioner-Cum-Chairman District Level Forest Right Committee Shimla District Shimla, H.P.



OFFICE OF THE Sub- Divisional Officer (Civil), Shimla (R) District Shimla (HP)

Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right Act (FRA) 2006.

A Meeting of the Sub Divisional Committee of Shimla Rural Sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/of **Sh Gian Sagar Negi**,SDO (Civil) Shimla Rural on 02-09-2016 at 12-00 AM/PM at Shimla (Place) in which the applications submitted by applicants/Department of **Superintendent of Police Shimla, District Shimla** was discussed and recommended the same is to District Level Committee for approval.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level admitted:

S. No.	Name of Applicant	Name of forest	Detail of forest Right
1.	No Clame from anybody has been received	UPF Ghandal	Construction of Police Post Dhami (Halog) at Mile NH near Ghandal area 0-45-30 Hect.
Claims of follo	owing applicants were not found in	order and hence rejec	ted:-
S. No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.		-	-
2.			
	OR		
As informed	byGram Sabha or	application was re	ceived claiming rights in
	forest area.		
Place: Shimla			
Date: 09-02	-2016	SDO (Civil)-cum-Cl	nairman/Chairperson

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

वन अधिकार समिति अस्व ग्राम घण्डल, डा० शकराह तह० व जिला शिमला हिमाचल प्रदेश

प्रत्र संख्या	दिनांक	
प्रस्ताव संख्या		

पुलिस थाना धामी के भवन निर्माण से संम्बधित भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बारे।

आज दिनांक हैं 15 15 को वन अधिकार सिमिति, राजस्व ग्राम घण्डल की बैठक वन अधिकार सिमिती के अध्यक्ष, श्री जय सिंह चन्देल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि हि0 प्र0 पुलिस विभाग पुलिस थाना धामी को वन अधिकार के तहत खसरा न0 679/1 रकबा 0-45-30 हैक्टेअर वन भूमि को उक्त पुलिस थाना के लिए स्थानान्तरित/अनापित्त प्रमाण पत्र पर जारी करने के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई जिसमें सर्व- सहमित से निर्णय लिया गया कि उक्त खसरा न0 679/1 भूमि अगर हि0 प्र0 पुलिस विभाग पुलिस थाना धामी भवन निर्माण के लिए दी जाती है तो वन अधिकार सिमित तथा राजस्व ग्राम घण्डल को कोई आपित्त नहीं है। अतः प्रस्ताव की प्रति प्रधान ग्राम पंचायत, शकराह को आवश्यक कार्यवाही व अनापित्त प्रमाण पत्र बिना विलम्ब जारी करने हेतु अग्रेषित है तािक उक्त संस्थान के भवन का निर्माण तदानुसार हो सके।

सचिव

P.L. Bhotie,

कर्त का अधिकार कमेटी भू-राजस्य कारा **ट्रिकटल** प्रधान

Services and the services of t

(स्चित जनजाति और अन्य परम्परमत यन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 गन अधिकार समिति माम सामा जा जस्त काम हाण्डल प्राचीनमा प्रस्तान

प्रस्ताव संख्या 1	दिनांक 5 45
की अध्यक्षता म की गई जिसम परम्परागत वन निवासी (यन अधिकास की जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें कि कि पुलि के निर्माण के लिए कि कि विवेध के वन अधिक के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा द द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार	
क0सं0 प्रात्र गांव वासी का नाम 1 2 तदानुसार यह वन आध्यकर सामात इस द सिफारिश करती है।	जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौरा वन अधिकार का व्यौरा वन अधिकार का व्यौरा
उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमान्	सार सहीं नहीं पाया गया :
क ० सं० *पात्र गांव वासी 1 2 तदानुसार ग्राम सभा इस दावे इन वावों व	का नाम हो पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है। या
जगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन स्थान डा॰ट्ट दिनांक ड केड * ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्हों आवेदन किया है।	अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ। अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता ग्राम सभा ने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दाव के लिए

** प्रोजैक्ट कार्य का नाम जिसक लिए वन (संस्थाण) अधिनियमं, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग

की अनुमति दी जानी है।



Annexture-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 ग्राम सभा..... प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 23

दिनांक 19-10-2018.

ग्राम सभा उत्राम पेन्सायत में में स्टिक आज दिनांक 19-10-2018 को 11:00 AM बजे स्थान राज आठग्रा है... में श्रीं / श्रीमति समन राज (प्रदान) की अध्यक्षता में की गई जिसमें जाम फेल्या व अल्या है गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत राजस्य राजस्य विष्ठ लेजांगल / वन क्षेत्र में (जिसमें हि.प्र. प्रिलिश विभाग द्वारा प्रिलिश * भाजा / न्यांकी हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवदेनों पर चर्चा की गई । वन अधिकारों के के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

0700

*पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम

वन अधिकार का व्यौरा

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे / इन दावों की पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया :--

क0सं0

*पात्र गांव वासी का नाम

तदानुसार ग्राम समा इस दावं / इन दावों की निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार शास्त्र काव काव किया जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान है। ७२। ह दिनांक 19-10-2018.

ग्राम पंचायत शकराह

डा. शकराह, तह. र िता शिमला (विकास प्रमान्य प्रमान

^{*} ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए

^{**} प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसक लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोगः की अनुमति दी जानी है।



Annexture-V

अन्सचित जनजाति को	7 0					No.
अनुसूचित जनजाति औ	र अन्य परम्परगत	वन निवासी	विन अधिकारों	की मान्यता)	अधिनियम	2000
· ·					जानाग्वन,	2006

ग्राम सभा जाळरा ह विकास खण्ड भागायन जिला भागा (हि०प्र०)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 19-10-2018. गणपूर्ति 280/539 / प्रस्ताव संख्या 23

विषयः हि.प. प्रतिस्थ विभाग/संस्था को प्रतिस्थ शाना /न्याकी अवन के निर्माण हेतू राजस्य जांव टा००० जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित व्यासारा जी 679 । ७- ५८-३० हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।

ग्राम समा <u>ठाउर १६</u> की बैठक आज दिनाक ... 19-10-2018 को 11!% AM बजे, स्थान <u>ठाउर १६</u> की गई , जिसमें स्ट पुलस्य विभाग/संस्था को सलिस याना न्यांची के निर्माण हेतू अप्राप्त गांज साम्य लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मित से यह निर्णंद लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, २००६ के अनतर्गत बन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली है तथा प्रस्तावित . 0 - 45 - 30 हैक्टयर वन भूमि को पुलिस धाना निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा अञ्चाह की

स्थान राज्याह दिनांक 19-10-2018.

डा. शकराह, तह, विज्ञा शिमला (स्मिन्सासा खण्ड प्रश्लोब

कार्यालय ग्राम पंचायत शकराह

विकास खण्ड मशोबरा



डा० शकराह, तहसील व जिला शिमला (हि०प्र०)

आज दिनांक 19 - 10 - 2018 को ग्राम सभा ग्राम पं	चायत बैिक्शि	की मासिक विशेष बैठक
प्रधान श्री/श्रीमती क्यू भेज राजा	जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उपस्थि	तिे.इ रही तथा
निम्न कार्यवाही अम्ल में लाई गई।		1
क्रमांक G. P. बीजराह 17/2018.		दिनांक 🗝 11 2018
प्रस्ताव नं 2.3		1 .

16 मील में जालस याना खाला कार।

अगाज ज्याभ

विष्ठ में छरताव स्वव सम्मात के पारित व स्वीकृत हुआ।

अतिस्ति संवामं प्रकित! - अलिस आदासक मिमला जिला मिनला (हि.प्र.)

नकल प्रस्ताव असल केसही ह

पाम पंचायत आकाराह

प्रधान ग्राम पंचायत शकराह जा शकराह, तह, जिला शिमला (हि.)